पत्रांक–10/स्था0 व्यय आवं0–15/2025 89/311 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
लातेहार, गिरिडीह, गढ़वा, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा,
पलामू, खूँटी, प0 सिंहभूम, चाईबासा।

राँची, दिनांक–03-12-2025

विषयः– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघुशीर्ष–092 – अन्य कार्यालय, उपशीर्ष–04–भू–अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में वेतन एवं अन्य इकाईयों में कुल ₹2,31,35,000/– (रूपये दो करोड़ एकतीस लाख पैंतीस हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न इकाईयों में कुल ₹2,31,35,000/– (रूपये दो करोड़ एकतीस लाख पैंतीस हजार) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

6. वेतन इकाई में आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि के विरूद्ध हुए व्यय की निकासी यथासंभव उसी माह/अगले माह में करना सुनिश्चित किया जाय।

कृ0पृ0उ0

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

01/XII

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 89/वित्त राँची, दिनांक– 03-12-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/XII/XXV

सरकार के सचिव।

संख्या–10 / स्था. व्यय आवं–15 / 2025.....89/2111.....राँची, दिनांक– 03-12-2025

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2052–सचिवालय–सामान्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–092–अन्य कार्यालय, उप शीर्ष–04–भू–अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि का आवंटन विवरणी–

क्र.	उपायुक्त कार्यालय का नाम	DDO Code	वेतन	मजदूरी	देशीय यात्रा भत्ता	कार्यालय व्यय	वर्दी	दूरभाष	मोटरगाड़ी, ईंधन एवं मरम्मति	योग
1	भू–अर्जन कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम	SGHLDR002	3000000	199000	81500	100000	15000	10000	260000	3665500
2	भू–अर्जन कार्यालय, लातेहार	LTRDAD046	1004000	0	0	0	10000	0	0	1014000
3	भू–अर्जन कार्यालय, गिरिडीह	GRDDAD037	1800000	0	0	0	0	0	0	1800000
4	भू–अर्जन कार्यालय, गढ़वा	GRHSGS001	700000	0	26000	100000	15000		100000	941000
5	भू–अर्जन कार्यालय, दुमका	DMKDAD050	6000000	0	0	0	0	0	0	6000000
6	भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा	GDDLDR002	817000	0	0	0	0	0	0	817000
7	भू–अर्जन कार्यालय, जामताड़ा	JMTLAO001	1700000	0	0	90000	0	0	0	1790000
8	भू–अर्जन कार्यालय, पलामू	PLMLDR002	6000000	0	0	0	37500	0	0	6037500
9	भू–अर्जन कार्यालय, खूंटी	KHNLDRK22	900000	10000	0	100000	5000	5000	50000	1070000
कुल योग			**21921000**	**209000**	**107500**	**390000**	**82500**	**15000**	**410000**	**23135000**

01/XII/XXV

(चन्द्रशेखर)
सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।